

प्रेषक,

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त संयुक्त विकास आयुक्त/  
मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।

पत्रांक: - ११७/ बैठक सेल(मु०)/2010-11

::

लखनऊ: दिनांक १५ अप्रैल-2011

विषय- मा० ग्राम्य विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक ०९-०५-२०११ को मा० मुख्यमंत्री के उच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों व अन्य विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया, अवगत कराना है कि मा० मुख्यमंत्री की उच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों व अन्य विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक मा० ग्राम्य विकास मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक ०९-०५-२०११ को यू०पी०आर०आर०डी०ए०, तृतीय तल स्थित सभा कक्ष, न्यू बेरी रोड लखनऊ में पूर्वान्ह ११.०० बजे से आहूत की गयी है। बैठक का एजेण्डा निम्न लिखित है:-

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत निर्धारित मासिक लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा।
2. २८ जनपदों को उपलब्ध करायी गयी सूची के सापेक्ष जॉब कार्ड जारी करने की स्थिति की समीक्षा। मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण सूचना की केवल साफ्ट कापी (सी०डी०) बैठक में साथ लेकर आये। सम्बन्धित संयुक्त विकास आयुक्तों से अनुरोध है कि वे भी अपने स्तर से इसकी समीक्षा कर लें।
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की स्थिति।
4. भूमि सुधार के लाभार्थियों के चयन एवं वर्क आई०डी० कम्प्यूटर पर जनरेट करने की प्रगति की समीक्षा।
5. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कन्वर्जेंन्स हेतु जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि एवं इसके व्यय की स्थिति की समीक्षा।
6. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कुल बीपीएल परिवार की संख्या के सापेक्ष निर्गत जाब कार्डों की संख्या की समीक्षा।
7. वित्तीय वर्ष २०१०-११ में अद्यतन एम०आई०एस० फीडिंग की समीक्षा।
8. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के योजनान्तर्गत दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट/विभागीय कार्यवाही की सूचना प्रेषित किये जाने की स्थिति।
9. श्रमिकों के भुगतान लम्बित न रहने के विषय में प्रेषित किये जाने वाले प्रमाण पत्र की स्थिति।
10. आदर्श तालाबों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा।
11. तहसील स्तरीय नरेगा निगरानी दिवस की प्रगति की समीक्षा।
12. १० लाख वंचित परिवारों की प्रगति की समीक्षा निर्धारित प्रारूप पर।
13. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से सम्बन्धित उपरोक्त बिन्दु १ से १२ तक की सूचनायें दिनांक ०४-०५-२०११ तक [upregs@yahoo.co.in](mailto:upregs@yahoo.co.in) पर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
14. मा० नरेगा के अन्तर्गत वृक्षारोपण की प्रगति एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा। यथा-गड्ढे की खुदाई, प्री स्वायल वर्क, ट्री गार्ड की व्यवस्था, पौधों की उपलब्धता तथा पौधों की सुरक्षा एवं संरक्षा आदि। समस्त सूचना समीक्षा बैठक में साथ लेकर आयेगे।
15. वर्ष १९९५-९६ से लेकर वर्ष २००९-१० तक के इन्दिरा आवासों के पूर्ण होने की समीक्षा। यह उल्लेखनीय तथा अनिवार्य है कि समस्त मुख्य विकास अधिकारी अपने साथ वर्षवार इन्दिरा आवासों को पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र अपने साथ बैठक में लायेगे।
16. ग्रामीण आवासीय योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा।
17. महामाया आवास एवं महामाया सर्वजन आवास योजना के अन्तर्गत वित्तीय २०११-१२ में अपेक्षित धनराशि का विवरण बैठक में साथ लेकर आये।
18. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा।
19. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा।
20. वर्ष २०११-१२ में नई योजना एनआरएलएम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विचार विमर्श।
21. सरसहाट/विलेज हाट की समीक्षा।
22. स्वर्ण जयन्ती योजनान्तर्गत प्रशिक्षण की प्रगति की समीक्षा।

23. ग्रामीण पेयजल योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा।
24. राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम की भौतिक प्रगति की समीक्षा।
25. विधायक निधि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा।
26. डा0 अम्बेडकर ग्राम समा विकास योजना/नक्सल ग्राम की प्रगति की समीक्षा।
27. अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना में वर्ष 2011-12 की कार्ययोजना की समीक्षा।
28. डी0आर0डी0ए0 प्रशासन मद में भारत सरकार को प्रेषित किये गये द्वितीय किश्त के प्रस्तावों की समीक्षा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार से अभी तक कई जनपदों को द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं हुई है।
29. जनपदों में जी0पी0एफ0 ऋणात्मक वसूली के प्रकरणों की समीक्षा। प्रारूप अलग से प्रेषित किया जा रहा है।
30. मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी अध्यक्षता में दिनांक 11-4-2011 को सम्पन्न हुई समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त (जो ई-मेल के माध्यम से दिनांक 28-4-2011 को प्रेषित की जा चुकी है) से सम्बन्धित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या समस्त संयुक्त विकास आयुक्तों द्वारा संकलित बुकलेट के रूप में बैठक में उपलब्ध करायी जायेगी। यह उल्लेखनीय है कि जो बिन्दु मनरेगा एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा से सम्बन्धित हैं उनकी अनुपालन आख्या सीधे मनरेगा सेल तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेल को भी ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाय ताकि नियमित अनुश्रवण होता रहे।

अतः आप सभी से अपेक्षा है कि समीक्षा हेतु कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा ग्राम्य विकास के निर्धारित संशोधित प्रारूपों पर प्रगति सूचनाएं प्रत्येक दशा में 04-05-2011 तक अनिवार्य रूप से संयुक्त विकास आयुक्त द्वारा ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। प्राथमिकता कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट रुलसाफ्ट पर दिनांक 04-05-2011 तक अनिवार्य रूप से अद्यतन कर दी जाएं।


कृपया, बैठक में उक्त तिथि, समय एवं स्थान पर स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
  
(संजीव कुमार),  
आयुक्त,  
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक-928/बैठक सेल(मु0)/2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. महानिदेशक, पं0 दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
4. आयुक्त, ग्रामीण आवास परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर आयुक्त(नरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
6. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गन्ना संस्थान, न्यू बेरी रोड, लखनऊ।
7. समस्त विशेष सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
8. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, समाज कल्याण निर्माण निगम, लेखराज मार्केट, लखनऊ।
10. अपर आयुक्त(प्रशासन/लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
11. समस्त वरिष्ठ उपायुक्त/उपायुक्त/योजनाधिकारी, सहायक आयुक्त (आरएसबीवाई) ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
12. प्रकाशन अधिकारी, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
13. सूचनाधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. क्षेत्रीय प्रबन्धक, आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड को द्वारा सहायक आयुक्त (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना)
15. अधीक्षक, स्था0-3 अनुभाग को इस आशय से प्रेषित कि बैठक की कार्यवाही नोट करने हेतु दो आशुलिपिकों, दो सहयोगियों एवं बुकलेट बाइन्ड करने हेतु डिस्पैच प्रभारी को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
16. नाजिर, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि पूर्व की भांति उक्त बैठक की समस्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

  
(संजीव कुमार),  
आयुक्त,  
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।